बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहारको समर्पित ज्ञापन

विभाग द्वारा E-Forest Mandi नामक मोबाईल ऍप तैयार कराया जा रहा है। जिसके माध्यम से बिहार के विशिष्ट पेड़– पौधों की प्रजातियों की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही इससे वृक्षारोपण अभियान को काफी बल मिलेगा एवं औषधीय पौधों के उपज को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। कृषक एवं अन्य इस ऍप के माध्यम से वन विभाग से पौधों का क्रय कर पायेंगे साथ ही अपने उत्पादों का विक्रय भी विभाग को कर सकेंगे। वन विभाग से संबंधित नियम कानून की जानकारी भी इस ऍप के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगी तथा इसके माध्यम से नई तकनीकी जानकारियाँ भी प्राप्त की जा सकेंगी। हमे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि E-Forest Mandi APP वानिकी के समुचित विकास में काफी सहायक सावित होगी साथ ही इससे कृषकों एवं अन्य संबंधित लोग लाभान्वित होंगे। हम विभाग को ऐसे उपयोगी ऍप बनाने के लिए साधूवाद देते हैं।

वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार ने पर्यावरण की स्वच्छता बरकरार रखने, Bio- Ecological Cycle के पर्याप्त प्रोत्साहन एवं वन, वन–संपदा आदि के संरक्षण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जो कि स्वागतयोग्य है। विभाग द्वारा मासिक पत्रिका गौरैया का भी प्रकाशन किया जाता है। यह पत्रिका बहुत ही ज्ञानवर्द्धक है तथा इसमें वन एवं पर्यावरण से संबंधित नवीनतम् जानकारियाँ संकलित होती है।

1 राज्य सरकार ने पिछले समय में सहमति शुल्क (Consent Fee) तथा एन.ओ.सी. शुल्क में काफी बढ़ोतरी की है। इस शुल्क को तय किये जाने का आधार पूंजीगत निवेश (Capital Investment) को बनाया गया है जिसमें भूखण्ड, भवन तथा प्लांट एवं मशीनरी में किया गया निवेश समाहित है। उद्योगों की परिभाषा में Capital Investment में केवल Plant & Machinery को ही Consider किया जाता है। अतः सहमति शुल्क तथा एन.ओ.सी. शुल्क हेतु उद्योगों के प्लांट एवं मशीनरी के निवेश को ही आधार मानना चाहिए। अतः हमारा विनम्र निवेदन होगा कि सहमति शुल्क तथा एन. ओ.सी शुल्क आधारित करते समय प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश को ही आधार बनाकर इन शुल्कों को लिया जाये।

निम्न तालिका से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती हैः–

जल(प्रदूषण निवारण एव नियमंत्रण) नियमावली–1986के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क काफी अधिक है। इसमें कमी की आवश्यकता है :–

m|kxk dk fooj.k	Ikoi e fu/kkfjr okf"kd 'kYd	5 Iky e n; 'kYd ijku jV I	oUkeku e 5 Iky d fy, n; 'kYd
25 लाख तक पूंजी निवेश			9000
25 लाख से 5 करोड़ तक पूंजी निवेश	2000	10000	35000
5 करोड़ से 10 करोड़ तक पूंजी निवेश	5000	25000	60000
10 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक पूंजी निवेश	10000	50000	90000
50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश	10000	50000	225000

e'k!''''''''''''''''''''''''#

2 वर्त्तमान में Application एवं Consent Fee ऑन लाईन माध्यम से जमा करने की व्यवस्था है। परन्तु काफी आवेदक ऐसे होते है जिन्हें IT में पूर्ण दक्षता नही होती और इस कारण से वे ऑन लाईन माध्यम से आवेदन अथवा सहमति शुल्क ससमय नही जमा कर पाते हैं। अतः हमारा आग्रह होगा कि एक alternative व्यवस्था कुछ समय के लिए किया जाये। जिससे की पूर्व की भांति हार्ड कॉपी में Application तथा Demand Draft के रूप में सहमति शुल्क जमा किया जा सके। बाद में इन्हें पर्षद ऑन लाईन अपलोड करा सकता है। इससे आवेदकों की परेशानी कम हो जायेगी।

3 हमें ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सहमति शुल्क यदि आवेदक द्वारा कम जमा किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि ऐसे आवेदकों से Difference Amount की अलग से मांग कर आवेदन को रद्द होने से बचाया जा सकता है।

हमे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व में Consent to Operate (CTO) तथा Consent to Establish (CTE) एवं एन.ओ.सी. के काफी मामले लंबित थे, परन्तु आपके निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप इनमें से काफी अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। हमें पूर्ण आशा है कि पर्षद ऐसी ही कार्यशीलता अपनाते हुए सभी मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करने में सफल रहेगा।

4 Central Pollution Control Board द्वारा Water & Air Pollution Control Acts के तहत् इण्डस्ट्रीज का पुनरीक्षित वर्गीकरण कर इन्हें Red, Orange, Green एवं White श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा आग्रह है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा Central Pollution Control Board के ही तर्ज पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाये तथा उक्त संबंधित अधिसूचना शीघ्रातिशीघ्र जारी की जाये।

5 पर्षद द्वारा वर्त्तमान में लिया जा रहा Water Cess काफी अधिक है जिससे लघु उद्योग काफी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि वैसे लघु उद्योग जो सरकार द्वारा approved इण्डस्ट्रीयल एरिया में काम कर रहे हैं उन्हें इस शुल्क से मुक्त रखा जाये। यदि कोई ईकाई 20 KL प्रतिदिन से अधिक जल का उपयोग करता है तो उन्हें Water Cess जमा करने का पात्र माना जा सकता है।

पर्षद को Municipal Corporation, Railway के प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों से भी Water Cess की वसुली करनी चाहिए।

6 Environmental Clearance Notification 2006 की समीक्षा नितान्त आवश्यक है। राज्य सरकार को State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) के गठन का अधिकार प्राप्त है। चैम्बर सरकार से अनुरोध करता है कि उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 3 की परिशिष्ट (VI) के तहत चैम्बर का एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में SEIAA में शामिल किया जाये। हमारा स्पष्ट मत है कि उक्त प्राधिकार में सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जिनके पास किसी बड़ी/मंझोली औद्योगिक ईकाई में उच्च पद पर योगदान करने का कम से कम 25 वर्षो का अनुभव हो।

7 बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद के बोर्ड में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, परन्तु कुछ वर्ष पूर्व बोर्ड के पुर्नगठन में चैम्बर को शामिल नही किया गया। इस संबंध में हमने समय–समय पर पत्र के माध्यम से विभाग से आग्रह भी किया है। अतः हमारा साग्रह निवेदन है कि पूर्व की भाँति बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि को भी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के बोर्ड में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाये।

8 जब किसी औद्योगिक प्रोजेक्ट को Clearance प्राप्त हो जाये तो प्रोजेक्ट के 500 मीटर के परिधि को औद्योगिक प्रक्षेत्र घोषित करते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परिधि में कोई रिहाईशी मकान आदि नही बने। इसे सुनिश्चित करने के लिए Civic Authority को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए।

9 यहाँ हम बताना चाहेंगे कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की एक अपनी बहुत ही संपन्न लाईब्रेरी है जिससे अधिकतर लोग अवगत् भी होंगे। विभाग से हमारा आग्रह होगा कि मासिक पत्रिका गौरैया के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागीय प्रकाशन की एक प्रति चैम्बर लाईब्रेरी हेतु भी भेजने की व्यवस्था करें।

10 Solid Waste Management, Bio-Medical Wastes, Electronic Wastes आदि पर पर्षद की स्कीमों का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए।

11 फतुहां, पाटलीपुत्रा, बेला (मुजफ्फरपुर), हाजीपुर इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में Common Effluent Treatment Plant लगाने की बात काफी दिनों से चल रही है। लेकिन काम पुरा नही हुआ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

12 बिहार में वर्त्तमान में उद्योगों की संख्या काफी कम है जिसके कारण यहाँ Industrial Pollution अधिक नही है। Industries को Least Pollutant बनाये रखने के लिए पर्षद को Advisory Role अदा करना होगा जिससे कि बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और Pollution भी नहीं बढ़ेगा। पर्षद द्वारा औद्योगिक ईकाईयों को समय–समय पर Pollution Control से संबंधित Guidance उपलब्ध कराते रहने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि यदि किसी उद्योग द्वारा प्रदूषण हो रहा है तो उस उद्योग को बंद कर देना उचित समाधान नही है परन्तु उस उद्योग को उचित guidance देकर Pollution desired level तक लाया जाना चाहिए।

13 सरकार ने पारम्परिक ईंट भट्ठे पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विशेष नियम बनाये हैं। न्यूनतम प्रदुषण हेतु आज Eco Bricks विकसित कर लिया गया है, परन्तु उपभोक्ताओं के साथ–साथ बड़ी संख्या में बिल्डर्स, अन्य गृह निर्माणकर्त्ताओं आदि को इसके बारे में अधिक जानकारी नही है। जिसके फलस्वरूप Eco Bricks उद्योग भी आगे नही बढ़ पा रहा है। अतः हमारा आग्रह है कि पर्षद द्वारा Eco Bricks के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये। जिससे कि अधिकाधिक लोग इसका उपयोग कर सकें जिसके फलस्वरूप काफी हद तक प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगेंगे।

14 ऐसा अनुभव किया गया है कि आधारभूत संरचना के विकास कार्यो में कई बार Bihar State Pollution Control Board तथा Works Department में Proper Co-ordination के अभाव में Projectबाधित हो जाता है। जिसके कारण संबंधित Projects के पूरा होने में अनावश्यक विलंब होता है तथा विभिन्न प्रकार की क्षति होती है। हमारा सुझाव है कि इस हेतु एक Institutional Mechanism तैयार किया जाये जिससे की Bihar State Pollution Control Board एवं संबंधित Works Departments के बीच समुचित समन्वय स्थापित हो ताकि Project Approval के समय ही सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार–विमर्श कर लिया जाये जिससे Project में कार्य के प्रगति के समय किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो।

iVuk

%& e'(#%)*

****